

Ref : WRO/Admn/09/10/02/2016

Date : 02/08/2017

Subject : Tender for disposal of Unserviceable items and Scrap

To,

Dear Sir,

Bureau of Indian Standards, Mumbai intends to dispose off Unserviceable items and Scrap as per Annexure- I, on the Terms and Conditions mentioned below. You are requested to submit the rates for the lot i.e. for all items of Annexure- I individually for each item. The tender document can be downloaded from www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in.

Quotation for the part of the lot would not be accepted. Copy of the Annexure- I can be used for submitting the quotation. However, the same should be signed with stamp. Unsigned and/or unstamped bid shall be rejected. Conditional bids shall also be rejected. There must be no overwriting/erasing/cutting etc. in the bid which shall amount to rejection of the bid. Quotation not meeting the terms and conditions would be rejected.

Quotation shall be submitted in a sealed envelope super-scribed “**Tender for disposal of Unserviceable items and Scrap**”. A tender box has been kept on the ground floor of this office building marked “**Tender for disposal of Unserviceable items and Scrap**” for dropping the quotation latest by **1430 h on 23 August 2017**. The same shall be opened at **1500 h on 23 August 2017**. Tenderer or his authorized representative may remain present at the time of opening the quotation if he desires so. Late bids i.e. bids received after the specified date and time of receipt of bids shall not to be considered.

The contract for disposal shall be valid for one month from the date of award.

The quotation shall be accompanied with Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) by Demand Draft in favour of Bureau Of Indian Standards, Mumbai, failing which bid shall be summarily rejected. In the event of non- acceptance of the quotation by the Bureau, the EMD shall be returned within one month. Any other mode of EMD (such as CASH/CHEQUES) shall not be accepted. No interest shall be payable on Earnest Money Deposit for the period retained with Bureau.

The EMD of the unsuccessful Bidders shall be refunded after finalization of the tender but not later than one month from the date of opening of the bid.

The items offered in the Annexure- I may be inspected at the premises of Bureau at Manakalaya, E-9 (Behind Marol Telephone Exchange), MIDC, Andheri (East), Mumbai- 93, anytime between 1430 h to 1600 h on any working day between Monday to Friday (except holidays) with prior intimation to the undersigned. At the time of opening of the bids, it will be deemed that all bidders have satisfied themselves full in regard to the conditions, quality and quantity of the articles/items proposed to be disposed off.

The bidders with the highest quote (price) will be selected on the basis of total bid price (i.e. sum total of the quoted rates for all items). However, this clause does not disentitle the Bureau to split up the work order/contract in two or more parts. The right to split up the work order/contract in two or more parts is reserved by the Bureau and also the right to award contract to more than one agency is reserved. Whether the work order is to be placed on one firm or the same is to be split shall be at the discretion of the Bureau and decision of the Bureau shall be final in this regard.

The successful tenderer shall have to take delivery of materials within 15 days, (maximum 3 trips) on any working day during office hours against full payment in advance by way of Demand Draft/Banker's Cheque payable at Mumbai in favour of Bureau of Indian Standards. If the bidder fails to lift the items within specified time limit, the Earnest Money Deposited by him will be forfeited and award of work shall be cancelled. All quotations shall remain open for acceptance for a period of 30 days from the date of opening of quotations.

In the process of removing the items from our site / store, the tenderer will be responsible for loss of any property of the Bureau due to negligence on his part or on the part of his representatives and the amount of loss shall be recovered from the tenderer.

The tenderer will have to remove the scrap items on "As is Where is Basis". The successful bidder shall have to make full payment before lifting the goods/scrap items. Any tax is leviable shall be paid by the successful bidder.

Bureau of Indian Standards reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason. The Bureau have no responsibility for delay, loss or non- receipt of quotation after dispatch.

In case of any dispute, the decision of Bureau of Indian Standards, Mumbai shall be final in the matter.

The selected bidder shall have to pay to the BIS, GST at the applicable rate (i.e. 18%) on his quoted amount.

Any differences found in the tender notice of Hindi and English, English version will prevail.

(H. B. Ade)
Sc.'D' & OIC(A&F)

Encl : As above

विषय: अप्रयोज्य वस्तुओं और स्क्रेप के निपटान हेतु दरें

सेवा में,

महोदय,

भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई ने परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध अप्रयोज्य वस्तुओं और स्क्रेप के निपटान हेतु दरें निम्नलिखित सेवा शर्तों के अनुसार निपटान करने का निश्चय किया है। निवेदन है कि परिशिष्ट-1 में दी गई वस्तुओं के लॉट अर्थात् सभी वस्तुओं की अलग अलग दरें प्रस्तुत करें। निविदा दस्तावेज www.bis.org.in और www.eprocure.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

आधी-अधूरी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। अप्रयोज्य वस्तुओं और स्क्रेप के निपटान हेतु दरें, यूनिट दर के आधार पर होनी चाहिए। परिशिष्ट-1 की प्रतिलिपि निविदा दर के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें मुहर लगाकर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। बिना हस्ताक्षर एवं/अथवा बिना मुहर वाली निविदा को खारिज किया जाएगा। सर्शत बोलियों को भी खारिज किया जाएगा। बोली में ओवर राईटिंग/मिटाना/कटिंग इत्यादि नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण निविदा खारिज होगी। सेवा और शर्तों को पूरा नहीं करने वाली दरों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदा मुहरबंद लिफाफे में " अप्रयोज्य वस्तुओं और स्क्रेप के निपटान हेतु दरें " लिखकर प्रस्तुत की जाएगी इस कार्यालय के तल मंजिल पर एक टेंडर बॉक्स दिनांक 23/08/2017 के 1430 बजे तक निविदा डालने के लिए " अप्रयोज्य वस्तुओं और स्क्रेप के निपटान हेतु दरें " लिखा हुआ रखा गया है। निविदा दिनांक 23/08/2017 को उसी दिन 1500 बजे खोली जाएगी। यदि अपेक्षा हो तो, निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खोलते समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। विलंब बोलियों अर्थात् निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा प्राप्त होने के दिन से निपटान की संविदा एक माह तक के लिए वैध होगी।

निविदा के साथ बयाना धनराशि जमा के रूप में रु. 500.00 (पाँच सौ रुपये मात्र) का डिमाण्ड डाफ्ट भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई के पक्ष में जारी किया हुआ संलग्न किया जाय, ऐसा नहीं करने पर निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ब्यूरो द्वारा निविदा स्वीकार नहीं किए जाने पर जमा बयाना धनराशि को एक माह के भीतर वापस किया जाएगा। बयाना धनराशि चैक अथवा नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो में बयाना धनराशि जमा का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

असफल बोलीदारों का बयाना धनराशि निविदा की कार्रवाई पूरी होने के उपरान्त लौटायी जाएगी लेकिन निविदा खुलने के एक माह के बाद नहीं।

परिशिष्ट-1 में आमंत्रित वस्तुओं का निरीक्षण पूर्व सूचना से ब्यूरो के परिसर मानकालय, ई-9, एमआयडीसी, अंधेरी, पूर्व, मुंबई - 400 093 में सोमवार से शुक्रवार छुट्टियों को छोड़कर कार्य दिवसों के दौरान 1430 बजे से 1600 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को पूर्व सूचना देते हुए किसी भी समय किया जा सकता है। निविदा खुलने के समय यह समझा जाएगा कि बोलीदार अपने आप को निपटान हेतु प्रस्तावित वस्तुओं/सामानों की सेवा शर्तों, गुणता और मात्रा से पूर्णतया संतुष्ट हैं।

एकमुश्त बोली दर वाले (जैसे सभी वस्तुओं के लिए उल्लिखित दरों हेतु एकमुश्त) के आधार पर उच्च उद्भूत दरें उल्लिखित करने वाले बोलीदार का चयन किया जाएगा। यद्यपि यह अनुच्छेद ब्यूरो को कार्य आदेश/संविदा को दो भागों अथवा अधिक भागों में बाँटने के लिए उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। कार्य आदेश/संविदा को दो भागों अथवा अधिक भागों में बाँटने का अधिकार ब्यूरो के पास आरक्षित है और संविदा को एक से अधिक ऐजन्सियों को देने का अधिकार भी ब्यूरो के पास सुरक्षित है। कार्य आदेश एक फर्म को दिया जाय अथवा उसे एक से अधिक भागों में बाँटा जाय का विवेकाधीन अधिकार ब्यूरो का होगा और इस संबंध में ब्यूरो का निर्णय अंतिम होगा।

सफल बोलीदारों को ठेका प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर (अधिकतम तीन फेरी में) कार्यालय के कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान पूर्ण अग्रिम भुगतान मानक ब्यूरो, मुंबई के पक्ष में जारी डिमाण्ड डाफ्ट अथवा बैंकर चेक के माध्यम से भुगतान करके सामग्री की सुपुर्दगी लेनी होगी, ऐसा नहीं करने पर बयाना धनराशि को जब्त किया जाएगा। निविदाओं को निविदा खुलने के दिन से 30 दिनों तक की अवधि तक वैध माना जाएगा।

हमारी साइट/स्टोर से वस्तुओं को हटाने के प्रक्रम के दौरान निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों की लापरवाही से ब्यूरो की संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी और नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता से की जाएगी।

निविदाकर्ता को स्क्रेप को **जहाँ हैं जैसे हैं** के आधार पर निकालना होगा। सफल बोलीदारों को वस्तुओं/स्क्रेप सामान को उठाने से पहले पूरा भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार के उद्ग्राह्य कर का भुगतान सफल बोलीदार को ही करना होगा।

भारतीय मानक ब्यूरो किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भामाब्यूरो बोलीदार द्वारा निविदा के प्रेषण के बाद उसके खोने अथवा प्राप्त नहीं होने का उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी वाद के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई का निर्णय अंतिम होगा।

चयनित बोलीदार को उद्भूत धनराशि पर भारतीय मानक ब्यूरो को लागू दर (18%) से वस्तु सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।

निविदा सूचना के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

(हेमंत बी. आडे)
वैज्ञानिक 'डी' एवं कार्यप्रभारी,
(प्रशासन एवं वित्त)

संलग्नक: उपरोक्त

भामाब्यूरो, पक्षेका, सूचना पट्ट
भामाब्यूरो, वेबसाइट

